यह निरीक्षण आख्या **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चमोली** के माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चमोली के अवधि की माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16/01/2019 से 19/01/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः- इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

1.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र - कार्यालय गोपेश्वर जनपद चमोली में स्थित हैं | कार्यालय का क्रियाकलाप जनपद चमोली मे संचालित अशासकीय विधालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण तथा गुणवंत्ता शिक्षाप्रदान करवाना ।

(अ) विगत तीन वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदान एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. में)

वर्ष	**अनुदान प्राप्त**	**अनुदान व्यय**	**समर्पित धनराशि**
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 व्यय 12/18	शून्य	शून्य	शून्य

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य --------

(ii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार इकाई की श्रेणी "सी" है।

(IV)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है

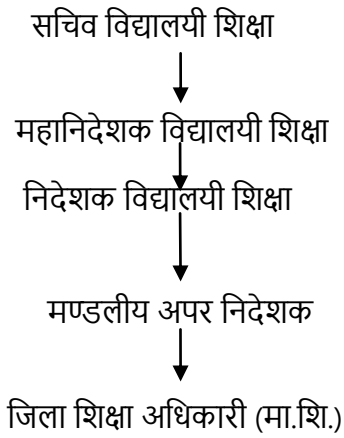

v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला शिक्षाअधिकारी (माध्यमिक) चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के कारण रुपये 2237.5 लाख के निर्माण कार्यो हेतु भुगतान की गई धनराशि पर निर्माण एजेंसी द्वारा अर्जित की गई ब्याज की धनराशि का प्राप्त नहीं किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या /XXIV-2 / 2012-6(3) /2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012, के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुरूप निदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चमोली के कार्य एवं दायित्व के अधीन माध्यमिक स्तर के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों का भौतिक सत्यापन करना तथा अंतिम भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना निर्देशित है। इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, (निर्माण एजेंसी) द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 12/ 2018 के अनुसार निम्नवत निर्माण कार्य संपादित किए गए थे ।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति प्रतिशत)
1	रा0हाई0सेज खतोली	116.48	100%	100%
2	रा0हाई0जौलाकोट	111.23	100%	100%
3	रा0इ0का0डुँग्री	164.54	100%	100%
4	रा0इ0का0 बैरागाड	93.35	100%	100%
5	रा0उ0मा0वि0 पंज्याणाखाल	104.04	100%	100%
6	रा0इ0का0 असेडसिमली	88.10	100%	100%
7	रा0इ0का0 नन्दासैण	91.43	100%	100%
8	रा0इ0का0 बूरा	131.56	100%	100%
9	रा0उ0मा0वि0 आली	123.54	100%	100%
10	रा0उ0मा0वि0 नैलसॉकरी	93.54	100%	100%
11	रा0उ0मा0वि0सुनाऊ	121.14	100%	100%
12	रा0इ0का0टंगसा	84.78	100%	100%
13	रा0इ0का0 रोहिडा	87.32	100%	100%
14	रा0इ0का0 कूनीगाड	90.93	100%	100%
15	रा0इ0का0 सिमली	89.84	100%	100%
16	रा0इ0का0 आदिबद्री	97.46	100%	100%
17	रा0इ0का0 तलवाडी	155.02	100%	100%
18	रा0इ0का0 मेहलचौंरी	101.08	100%	100%
19	रा0इ0का0 नन्दप्रयाग	191.97	100%	100%
20	रा0इ0का0 रडुवाचांदनीखाल	100.15	100%	100%
	योग	**2237.5**		

निर्माण कार्यों के पूर्ण हो जाने के तुरंत पश्चात कार्यों की अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से किया जाना अपेक्षित था। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद न तो अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से की गई और न ही निर्माण एजेंसी के अधीन निक्षेप में पड़ी रही रुपये 2237.50 लाख की धनराशि पर अर्जित की गई ब्याज की धनराशि की मांग की गई । आगे यह भी पाया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के स्तर से निर्माण कार्यों के सम्पादन के दौरान निर्माण एजेंसी के साथ न तो सम्मलित निरीक्षण किया गया और न ही कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भौतिक निरीक्षण किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य परिलक्षित हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि निर्माण एजेंसी से ब्याज धनराशि की वसूली कर कोषागार में जमा कर दी जाएगी । अतः विभागीय उदासीनता के कारण रुपये 2237.5 लाख के निर्माण कार्यो हेतु भुगतान की गई धनराशि पर निर्माण एजेंसी द्वारा अर्जित की गई ब्याज की धनराशि प्राप्त नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग ,उत्तराखण्ड (लेखापरीक्षा) सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुमुख्य शिक्षा अधिकारी)माध्यमिक चमोली(की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री यसवंत सिंह चौधरी	आहरण वितरण-अधिकारी	07.09.2010से 06.08.2012
2.	श्री दिनेश लाल शाह	आहरण वितरण	अधिकारी-18.09.2012से 16.01.14
3.	श्री आशुतोष भण्डारी	आहरण वितरणसे वर्त 21.01.2014	अधिकारी-मान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाशिक्षा अधिकारीमाध्यमिक)चमोली को इस आशय से प्रेषित कर) अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार दी जायेगी कि सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून 248195-को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.